राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

निविदा–सूचना

निगम के केन्द्रीय बस स्टैण्ड, सिन्धी केम्प, जयपुर पर निम्नलिखित स्टालों/केन्टीनों एवम् अजमेर–जयपुर मार्ग पर दूदू बस स्टैण्ड के नजदीक होटल ढ़ाबा हेतु लाईसेन्सी नियुक्त किया जाना है:–

क्र. सं.	प्लेटफार्म नम्बर	स्टाल प्रकृति	साईज वर्ग फीट	धरोहर राशि	अनुमानित वार्षिक आय
01	01 पोस्ट ऑफिस की दीवार के पास	फैक्स, फोटो स्टेट मशीन, मोबाइल, मोबाइल ऐसेसरीज, रिचार्ज कूपन	06x06	10,000	3,50,000
02	01 फिल्टर पानी की मशीन के पास	फैक्स, फोटो स्टेट मशीन, मोबाइल, मोबाइल ऐसेसरीज, रिचार्ज कूपन	06x06	10,000	2,00,000
03	03,पुरूष शौचालय के पास	फैक्स, फोटो स्टेट मशीन, मोबाइल, मोबाइल ऐसेसरीज, रिचार्ज कूपन	06x06	10,000	1,20,000
04	04,पूछताछ व टिकिट विन्डो के मध्य	फैक्स, फोटो स्टेट मशीन, मोबाइल, मोबाइल ऐसेसरीज, रिचार्ज कूपन	06x06	10,000	1,20,000
05	03, डीलक्स प्लेटफार्म के यात्री विश्राम गृह का एक कार्नर	जनरल स्टोर(खाने–पीने के समान के अलावा), मोबाइल ऐसेसरीज, गिफ्ट आईटम, इलेक्ट्रोनिक्स सामान।	08x08	20,000	4,20,000
05	अजमेर–जयपुर मार्ग, दूदू पर होटल ढ़ाबा	वाहन ठहराव स्थल (जलपान हेतु)	-	05,000	6,00,000

क्रम संख्या 01 से 04 तक केवल विशेष योग्यजन/नेत्रहीन एवम् विधवाओं के लिए आरक्षित है।

निविदा प्रपत्र एवम् शर्तो के लिए निर्धारित राशि रू. 200/– नकद जमा करवाकर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने प्रस्ताव दिनांक 16/08/2018 को समय सांय 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते है निविदा दिनांक 17/08/2018 को समय दोपहर 02.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवम् उसी दिन समय दोपहर 3. 00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि नकद अथवा डी.डी./बैकर्स चैक, सी.एम.सी.बी.एस आगार, जयपुर के नाम से जमा करवानी होगी। धरोहर राशि के बिना प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताये अस्वीकार किया जा सकता है।

(कैलाश बड़ाया)
मुख्य प्रबन्धक,सी.बी.एस आगार।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

निविदा–सूचना

निगम के केन्द्रीय बस स्टैण्ड, सिन्धी केम्प, जयपुर पर निम्नलिखित स्टालों/केन्टीनों एवम् अजमेर–जयपुर मार्ग पर दूदू बस स्टैण्ड के नजदीक होटल ढ़ाबा हेतु लाईसेन्सी नियुक्त किया जाना है:–

उक्त निविदा व शर्ते सम्बन्धित आगार कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में 200 रू. शुल्क देकर दिनांक 16/08/2018 तक प्राप्त किये जा सकते है।

निविदायें दिनांक 17/08/2018 को समय 14.00 बजे तक जमा कराने के पश्चात् दिनांक 17/08/2018 को समय 15.00 बजे खोली जायेगी।

निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाईड www.rsrtc.rajasthan.gov.in एवम् राज्य लोक उपापन पोर्टल पर (SPPP) भी देखी जा सकती है।

(कैलाश बड़ाया)
मुख्य प्रबन्धक,सी.बी.एस आगार।

केन्टीन/स्टाल/वाहन ठहराव स्थल(जलपान हेतु) लाईसेन्स पर देने सम्बन्धी विज्ञापन प्रारूप

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, सी.बी.एस आगार,जयपुर।
केन्टीन/स्टॉल/वाहन ठहराव स्थल देने बाबत।
केन्द्रीय बस स्टैण्ड, सिन्धी केम्प, जयपुर पर विभिन्न स्टॉल/केन्टीनो/अजमेर–जयपुर मार्ग, दूदू पर वाहन ठहराव स्थल(जलपान हेतु) के लिये लाईसेन्सधारी नियुक्त किये जाने है। प्रस्ताव देने की अन्तिम तिथि 17/08/2018 को दोपहर 02.00 बजे तक है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी निगम वेबसाईड www.rsrtc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,सी.बी.एस आगार,जयपुर।

निगम की बसों के मार्ग के मध्य यात्रियों को जलपान एवम् सुलभ सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु
(यह प्रपत्र अहस्तानतरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया गया जावें, उसी के प्रयोजनार्थ हैं)

निविदा–प्रपत्र

निविदा प्रपत्र संख्याः– एफ/मु.प्र./ /20 /
दिनांक :–

निविदा प्रपत्र की राशि जमा रूपयें :– 200 रू./–
अक्षरे :– दौ सौ रूपये मात्र(जी.एस.टीअतिरिक्त)
नकद/रसीद संख्या :–
दिनांक :–

मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार

01	फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता		:–	
02	टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नं.			
		कार्यालय	:–	
		निवास	:–	
03	टेलेक्स/फैक्स नम्बर		:–	
04	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण		:–	
05	धरोहर राशि		:–	
06	धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा रसीद संख्या/ड्राफ्ट/बैकर्स चैक नम्बर		:–	
	दिनांक		:–	
07	अनुबन्ध ढ़ाबा का स्थान साईड		:–	
08	प्रति परिचक्र,प्रति बस कूपन दर वाहन ठहराव हेतु		:–	
09	निगम से पूर्व में वाहनों के ठहराव हेतु अनुबन्ध किया हो तो उसका पूर्ण विवरण		:–	
10	निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम बैक में खाता नम्बर		:–	
11	निविदादाता की चल व अचल सम्पत्ति का विवरण सत्यापित प्रति सहित		:–	
12	अन्य आवश्यक विवरणः– पहचान पत्र, पेन नम्बर, एवम् एक फोटो निविदा–प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। इसके बिना टेन्डर फार्म स्वीकर नहीं किया जावेगा।		:–	

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हैसियत/मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

निविदा शर्तें

निगम की बसों के मार्ग में यात्रियों को जलपान व सुलभ सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु निविदा की शर्तें निम्न प्रकार हैः–

1. यह अनुबन्ध प्रथमतः पांच वर्ष के लिये होगा। जिसके ठहराव शुल्क में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की चक्रवृत्ति दर से वृद्वि की जाएगी।
2. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा महिला एवं पुरूषों के लिये अलग–अलग अच्छे किस्म के प्रसाधान/सुलभ सुविधा उपलब्ध करायेगा।
3. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा निगम वाहनों के पार्किंग हेतु उचित स्थल उपलब्ध करायेगा।
4. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा यात्रियों के बैठने की पर्याप्त एवं समुचित व्यवस्था उपलब्ध करायेगा एंव उसके कर्मचारी यात्रियों से मधुर भाषा में व्यवहार करेगें एंव शालीनता पूर्वक सेवा करने को तत्पर रहेगें ।
5. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा यात्रियों को स्वच्छ एवं निःशुल्क पेय जल सुविधा उपलब्ध करायेगा।
6. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा यात्रियों एवं उनके सामान व निगम बस की पूर्ण सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
7. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे होने चाहिए जिनकी रिकार्डिग एक माह तक सुरक्षित रखनी होगी।
8. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर आगारीय कमेटी द्वारा अनुमादित मूल्य सूची (बडे अक्षरो में) लगवानी होगी जो सदैव कैमरे की नजर में रहनी चाहिये।
9. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा निगम की ठहरने वाली वाहनों की पंजिका भी दैनिक संधारित करेगा।
10. अनुबन्धित ढ़ाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि 5,000 रू (अक्षरे पांच हजार रूपए मात्र) का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/नकद जमा की रसीद संलग्न करनी होगी। निविदादाता कोकार्य आदेश जारी करने की दिनांक से दस दिवस के अन्दर 50,000 रू. अक्षरेः–पचास हजार रूपए मात्र सुरक्षा राशि डी. डी./बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/नकद निगम कोष में जमा जमा करानी होगी। उक्त घरोहर एवम् सुरक्षा राशि बिना ब्याज के अनुबन्ध समाप्ति के एक माह बाद तक निगम कोष में जमा रहेगी। निविदादाता द्वारा कार्य आदेश जारी दिनांक के दस दिवस के अन्दर आवंटित व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करने पर निगम, निविदादाता की जमा धरोहर एवम् सुरक्षा राशि जब्त कर जारी कार्यआदेश रद्द कर दिया जावेगा व क्रमशः द्वितीय, तृतीय उच्चतम निविदादाता को कार्यआदेश जारी कर दिया जावेगा अथवा पुनः निविदा आमंत्रित कर कार्य आदेश जारी किया जा सकेगा।
11. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को निगम द्वारा समय– समय पर जारी आदेशों एंव निविदा शर्तों की पालना करनी होगी । अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट द्वारा आदेशों एंव निविदा की शर्तों का उल्लघंन करने पर निगम को जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त करने व एक माह का नोटिस देते हुए कार्यआदेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा,जिसके लिए अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी उत्तरदायी होगा।
12. किसी यात्री द्वारा अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट के विरूद्व शिकायत करने पर निगम द्वारा शिकायत की जाचं करने एवं शिकायत के सही पाये जाने की स्थिति में प्रथम शिकायत पर 1000/– रूपये व द्वितीय शिकायत पर 5000/– रूपये शास्ति करने का अधिकार होगा। इसके बाद शिकायत प्राप्त होने पर धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि जब्त कर अनुबन्ध को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
13. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा यदि किसी यात्री से अधिक राशि लिये जाने /कोई हानि होने पर की गई शिकायत के लिये यदि किसी न्यायालय द्वारा कोई भी राशि अनुबंधित होटल–ढाबा स्वामी के विरूद्व निर्धारित कर शिकायतकर्ता को दिये जाने के निर्देश दिये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी की होगी।
14. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर निगम की वाहन का ठहराव समय 15 मिनट का होगा।
15. अनुबन्ध ढ़ाबा रेस्टोरेन्ट स्वामी निगम की प्रत्येक वाहन के रूकने पर निर्धारित क्रम संख्या वाला हस्ताक्षरयुक्त कूपन जारी कर परिचालक को देगा। वाहन के रूकने पर अनुबन्धित ढ़ाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा परिचालक को कूपन जारी नहीं करने पर प्रति वाहन 500 रूपए निगम कोष में जमा कराने होगे।
16. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को अपने होटल ढाबे पर साफ–सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होगा।
17. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को ढाबा/रेस्टोरेन्ट 24 घन्टे संचालित करना होगा। होटल/ढाबा बन्द रहने की शिकायत प्राप्त होने पर निगम द्वारा अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी के विरूद्व 1000/– रूपये प्रतिदिन शास्ती वसूल की जावेगी।
18. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को यह व्यवसाय एक वर्ष तक चालू रखना अनिवार्य होगा। यदि अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी एक वर्ष से पूर्व व्यवसाय बन्द करता है तो उसकी जमा धरोहर व सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी। एक वर्ष की अवधि के पश्चात यदि अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी अपना यह व्यवसाय चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व इसकी सूचना निगम को प्रस्तुत करनी होगी। अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा तीन माह का नोटिस दिये बिना यह व्यवसाय समाप्त करने पर उसकी पूर्व मे जमा धरोहर व सुरक्षा राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त करली जावेगी।
19. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी के क्रियान्वयन शर्तो एंव अनुबन्ध के निर्विचन के सम्बन्ध में दोनो पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए निगम के अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एकमात्र पंच निर्णायक होगें जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को

मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिये प्रस्तुत किये बिना एंव उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेगें। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी हैं एंव उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिये सहमति व्यक्त करते हैं। पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्यक्षेत्र/कार्यस्थल जयपुर होगा।

20. निगम द्वारा अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को जारी किये जाने वाले कोई नोटिस उसके द्वारा दिये गये पते पर प्रेषित कर दिया जाता है अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दिया जाता है तो उनकी तामिल पूर्ण समझी जावेगी।
21. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी अपने ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं को जैसे शराब,बीयर,अफीम,गांजा,चरस आदि न तो रखेगा और न ही बेचेगा तथा न ही वह स्वयं एवं उसके कर्मचारी किसी नशीले पदार्थ का सेवन करेगें।
22. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी ठहराव शुल्क के अलावा निर्धारित दर से जी.एस.टी (वर्तमान मे 18 प्रतिशत) का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त देय समस्त करों को जो किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा ।लाईसेंस अथवा परमिट लेने की आवश्यकता होने पर वह स्वयं की जिम्मेदारी पर देय फीस का भुगतान कर प्राप्त करेगा ।
23. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी के विरुद्ध किसी भी तरह की राशि बकाया रहने की स्थिति में निगम द्वारा उसका लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किया जावेगा तथा बकाया राशि की वसूली उसकी जमा धरोहर व सुरक्षा राशि में से समायोजन करने के विरूद्व अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी न्यायालय में कोई विवाद नहीं ले जा सकेगा व समायोजित धरोहर/सुरक्षा राशि को अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा पुनः 15 दिवस में निगम कोष में जमा कराना होगा। ऐसा नही करने पर अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी का कार्यादेश निरस्त कर शेष जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।
24. यात्रियों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी के अतिरिक्त उसी स्थान पर अन्य ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी से अनुबन्ध कर सकेगा। इस ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को इस बारे में किसीतरह का एतरात उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा ।
25. जिस साईड में निगम बसें रूकती हैं, उसी साईड में प्रस्तावित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्थित होना चाहिये।
26. ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को स्थित ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से अनुबंधित है का एक बोर्ड लगाना होगा। जिसे अनुबन्ध निरस्त/समाप्ति की स्थिति में तुरन्त हटाना होगा।
27. यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं तो निविदादाता को लाईसेंसप्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें :–
    a. निविदादाता के नाम पर जो चल एंव अचल संपत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल एंव अचल संपत्ति नहीं है तो उसके गारंटर की चल एंव अचल सम्पत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित फोटो प्रति ।
    b. निविदादाता के नाम पते केदस्तावेज की प्रमाणित प्रति। (पुष्टि में मतदाता परिचयपत्र/वर्तमान ड्राईविगं लाईसेंस/राशनकार्ड/पैन कार्ड/इनकम टेक्स रिटर्न कीप्रमाणित प्रति)।
    c. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारंटर को 100 रूपयें के भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि जब तक वह निगम का लाईसेंसी रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति वह अपनी चल एवं अचल संम्पत्ति का विक्रय नहीं करेगा। यह शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक ओथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा।
28. निविदा प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेगें ।
29. निविदा प्रस्ताव सरल एंव शुद्व भाषा में होगें तथा किसी प्रकार की कांट–छांट न हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक, अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें ।
30. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगें ।
31. यदि किसी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरूद्व निगम की राशि बकाया/वाद विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा ।
32. संलग्न घोषणा पत्रको भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
33. मैने उपरोक्त शर्तों को पढकर ,समझकर,सुनकर मैने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त शर्ते मुझे स्वीकार हैं ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(शर्तो की स्वीकृति हित)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

घोषणा–पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

1. मैं/हम निगम कोष में जमा रसीद संख्या/डी.डी.संख्या/ बैकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... राशि .... रूपये .... जो कि CM CBS JAIPURके नाम देय है, संलग्न कर रहे है/कर दिया है।
2. मै/हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाईसेन्सी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देगें।
3. मैं/हम घोषणा करता/करते है कि मैने/हमने जो प्रस्ताव किये है उसमें किसी अन्य संस्थान का कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नही दिये गये है।
4. मै/हम वचन देता/देते है कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत यह निविदा प्रस्ताव चार माह की अवधि तक मान्य रहेगा।

दिनांक :–

(हस्ताक्षर निविदा दाता)
मय पद/हैसियत व मोहर सहित।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्ड पर कियोस्क आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र (यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ है)

निविदा प्रपत्र संख्याः– एफ/मु.प्र./ /20 /
दिनांक :–

निविदा प्रपत्र की राशि जमा रूपयें :– .... /–
अक्षरे :– .... रूपये मात्र
नकद/रसीद संख्या :–
दिनांक :–

मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार

01	निशक्तजन/विकलांग/विधवा का नाम व पता		:–	
02	टेलीफोन नम्बर			
		कार्यालय	:–	
		निवास	:–	
03	टेलेक्स/फैक्स नम्बर/ई मेल		:–	
04	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण		:–	
05	धरोहर राशि		:–	
06	धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा रसीद संख्या/ड्राफ्ट/बैकर्स चैक नम्बर		:–	
	दिनांक		:–	
07	देय लाईसेंस शुल्क राशि रूपये			
		राशि प्रतिमाह रूपयें	:–	
		शब्दों में	:–	
08	निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्टाल/बूथ का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण		:–	
09	निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम बैक में खाता नम्बर		:–	
10	निविदादाता की चल व अचल सम्पत्ति का विवरण सत्यापित प्रति सहित		:–	
11	अन्य आवश्यक विवरणः– विकलांग/निशक्तता का प्रमाण पत्र, विधवा महिलाओं द्वारा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, एवम् वर्तमान में दूसरा विवाह नहीं किया गया है का शपथ पत्र संलग्न करना होगा एवम् पहचान पत्र, पेन नम्बर, एवम् एक फोटो निविदा–प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। इसके बिना टेन्डर फार्म स्वीकर नहीं किया जावेगा।		:–	

हस्ताक्षर निविदादाता

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर।

निविदा–शर्ते

निविदा शुल्क	:–	.... **रूपए मात्र**
निविदा दिनांक	:–	
निविदा प्राप्ति समय	:–	
निविदा खोलने का समय	:–	

कियोस्क आवंटन/संचालन की निविदा शर्ते निम्न हैः–

1. निगम परिसर में दुकान/स्टाल/बूथ/खाली स्थान अस्थाई लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिये दी जावेगी। एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर लाईसेन्सी के विरूद्ध कोई राशि बकाया नहीं होने/सन्तोषजनक सेवाये रहने पर लाईसेन्स फीस में 10 चक्रवृति दर से वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50,000/– रूपये से कम है, उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों के मासिक लाईसेंस फीस 50,000/– रूपये अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम पॉच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा। उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा निर्देशानुसार समय पर स्टाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञा की अवधि समाप्ति पर लाईसेन्सी द्वारा स्वतः ही बिना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए निगम को दुकान/स्टाल/बूथ खाली कर कब्जा सम्भलाना पड़ेगा। लाईसेन्सी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरूद्ध वाद दायर नही किया जा सकेगा।
2. लाईसेन्स पर दुकान/स्टाल/बूथ/खाली स्थान लेने हेतु लाईसेन्सी को एक सौ रूपए के भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तो के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा।
3. लाईसेन्स पर दी गई दुकान/स्टाल/बूथ पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गई सामग्री को ही बेचान किया जा सकेगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान का बेचान नही किया जायेगा :–
   1.
   2.
   3.
4. निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि ..../– रूपये (अक्षरे .... रूपये मात्र) का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/नकद जमाओं की रसीद संलग्न करनी होगी। लाईसेन्स आवंटित होने पर लाईसेन्सी को दस दिवस में तीन माह की लाईसेन्स फीस के बराबर सुरक्षा राशि की डी.डी/बैंकस चैक/नगद निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवम् सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लाईसेन्स अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाईसेन्सी द्वारा लाईसेन्स जारी होने के तीस दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नहीं करने पर धरोहर राशि एवम् सुरक्षा राशि जब्त कर लाईसेन्स रद्द कर दिया जावेगा व द्वितीय उच्चतम निविदादाता को अथवा पुनः निविदा कर लाईसेन्स आवंटन किया जा सकेगा।
5. निगम को अनुबन्ध समाप्ति दिनांक से पूर्व आवंटित दुकान/स्टाल/खाली स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घन्टे के भीतर स्वयं के खर्चे पर पुरानी जगह से सामान उठाकर वैकल्पिक अन्य नये स्थान पर ले जावेगा। वैकल्पिक अन्य स्थान की उपलब्धता एवम् उसकी व्यवसायिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी नवीन लाईसेन्स दरों के प्रस्ताव आगार स्तरीय समिति द्वारा तैयार किये जावेगें एवम् उसका अनुमोदन जोन के महा प्रबन्धक के स्तर से किया जावेगा जब भी लाईसेन्सधारी को पूर्व स्थान से शिफ्ट करना हो तो पहले नियमानुसार उसका लाईसेन्स निरस्त किया जावेगा तथा नये स्थान पर आवंटन के लिए पूर्व ऐसे लाईसेन्सी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि नवीन लाईसेन्सी शुल्क/दरों के लिए पूर्व लाईसेन्सी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिर्वतन के आधार पर प्राथमिकता समाप्त कर दी जावेगी एवम् नये स्थान का लाईसेन्स भी निर्धारित प्रक्रिया से निविदायें आमन्त्रित कर आवंटन किया जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेन्सी उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तरदायित्व के लाईसेन्स समाप्त कर सकेगा।
6. लाईसेन्सी मासिक लाईसेन्स फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा)12 अग्रिम पोस्ट डेटेड़ चैक जो प्रत्येक माह की 07 तारीख को देय होगे,देगा। माह की 07 तारीख तक लाईसेन्स फीस जमा नहीं कराने पर अथवा लाईसेन्स की किसी शर्ते का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारीय समिति 48 घन्टे का नोटिस जारी कर लाईसेन्स निरस्त कर सकेगी। लाईसेन्स निरस्त करने/वापिस किये जाने पर लाईसेन्सी निगम परिसर को 24 घन्टे में खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। ऐसा नहीं किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी दुकान में प्रवेश कर दुकान/स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा दिया जावेगा।

7. लाईसेंसी स्वंय के खर्चे पर सम्बन्धित विभाग के बिजली व पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा तथा उसका स्वयं भुगतान वहन करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर आगारीय समिति सम्बन्घित विभाग को कनेक्शन बन्द करने के लिए सूचित करेगा।
8. आवंटित दुकान/खाली स्थान पर लाईसेन्सी मादक पदार्थ जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस व सरकार द्वारा प्रतिबन्धित पदार्थ न तो रखेगा न ही बेचेगा।
9. लाईसेन्सी अपना व्यवसाय आवंटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।
10. लाईसेन्सी विक्रय किये जाने वाले पदार्थों की मूल्य सूची आगारीय समिति से अनुमोदन कराकर दुकानदार/स्टाल पर लगायेगा, जिसे यात्री सुगमता से पढ़ सके। लाईसेन्सी आवंटित दुकान/स्टाल में किसी तरह का परिर्वतन/मरम्मत नहीं करा सकेगा।
11. निगम द्वारा लाईसेन्सी को 15 दिन का लिखित नोटिस देकर लाईसेन्स को निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
12. यदि लाईसेन्सी स्वयं अपना लाईसेन्स चालू नही रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बन्द करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा एवम् धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
13. दुकान/स्टाल/बूथ का लिया गया लाईसेन्स अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
14. अनुबंध के क्रियान्वयन शर्तो एवं अनुबंध के निर्विचन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिये परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे। जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते है कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते है। पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षैत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा।
15. लाईसेन्सी के विरूद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर ली जावेगी, जो लाईसेन्सी द्वारा दो दिवस में बैक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष में जमा करानी होगी। ऐसे नहीं करने पर आगारीय समिति लाईसेन्स निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाईसेन्स दे दिया जावेगा।
16. लाईसेन्सी द्वारा निगम से समय–समय पर जारी आदेश/शर्तों का पालन किया जावेगा अन्यथ आगारीय कमेटी को लाईसेन्स निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेन्सी स्वय जिम्मेदार होगा।
17. दुकान/स्टाल/बूथ पर गुणवत्ता पदार्थों का ही विक्रय किया जा सकेगा।
18. लाईसेन्सी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाईसेन्सी द्वारा सीधे सम्बन्धित विभाग में जमा कराया जावेगा।
19. यात्रियों की सुविधा के मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेन्सधारी के अलावा उसी आईटम का लाईसेन्स उसी प्लेटफार्म पर अन्य फर्म को जारी कर सकेगा। लाईसेन्सधारी को इस बारे में किसी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।
20. यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाते है तो निविदादाता को लाईसेन्स प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
    1. निविदादाता के नाम पर जो भी चल एवम् अचल सम्पत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया–प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है तो उसके गारन्टर की आय एवम् अचल सम्पत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति।
    2. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र/वर्तमान ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति,पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिर्टन की प्रमाणित छायाप्रति)
    3. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारन्टर को 100/– रूपए के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा की जब तक वह निगम का लाईसेन्सी रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति के वह अपनी चल अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं करेगा। यह शपथ पत्र नोटरी पब्लिक ओथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा।
21. निविदा–प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगें।
22. निविदा प्रस्ताव सरल एवम् शुद्ध भाषा में होंगें तथा किसी प्रकार की काट–छांट ना हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें।
23. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
24. यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति फर्म के विरूद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा। 6x6 कियोस्क की स्थिति में जिन एस.टी.डी/पी.सी.ओ धारकों द्वारा निगम परिसर से कब्जा नहीं हटाया गया एवम् निगम का बकाया भुगतान नहीं किया गया तो वे निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। 6x6 कियोस्क केवल विशेष योग्यजन (विकलांग एवम् विधवा) हेतु आरक्षित रहेगें।
25. संलग्न धोषणा–पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

26. केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र एवम् राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों एवम् राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी एवम् उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को स्टैण्ड पर स्टाल का आवंटन नहीं किया जा सकेगा।
27. लाईसेन्सधारी उसके द्वारा देय लाईसेन्स फीस के अलावा जी.एस.टी एवम् उन समस्त करों को तथा अन्य फीस को जो भी किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा।
28. फर्म जिसके पक्ष में लाईसेन्स जारी किया गया है उसका यह दायित्व होगा कि लाईसेन्स फीस का भुगतान उस दिनांक से करें जिस दिनांक को उसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया है तथा लाईसेन्स फीस जमा नहीं करवाने पर प्रतिदिन 50/—रूपए अथवा चैक राशि का 1 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से शास्ति राशि जमा करवानी होगी।

मैने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर,सुनकर मैने हस्ताक्षर किये है। उक्त शर्ते मुझे मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

घोषणा–पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

5. मैं/हम निगम कोष में जमा रसीद संख्या/डी.डी.संख्या/ बैकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... राशि .... रूपये .... जो कि CM CBS JAIPUR के नाम देय है, संलग्न कर रहे है/कर दिया है।
6. मै/हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाईसेन्सी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देगें।
7. मैं/हम घोषणा करता/करते है कि मैने/हमने जो प्रस्ताव किये है उसमें किसी अन्य संस्थान का कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नही दिये गये है।

दिनांक :–

(हस्ताक्षर निविदा दाता)
मय पद/हैसियत व मोहर सहित।

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक .... को मुख्य प्रबन्धक राजस्थान परिवहन निगम सीबीएस आगार, जयपुर जो कि निगम कहलायेगा एवं श्री/श्रीमती... ....पुत्र/पति का नाम श्री... पता ....स्थाई पता ....जो कि लाईसेंसी कहलायेगा, के मध्य निम्नलिखित शर्तो पर निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह है कि राजस्थान परिवहन निगम सीबीएस आगार परिसर में निर्मित दूकान नं. ....स्टाल संख्या................/बूथ नं..................................../खाली स्थान साईज ....स्थित है .... व्यवसाय हेतू लाईसेंसी को सब्जेक्ट टू सेक्शन 52 से 63 आफ दी इण्डियन ईजमेंट एण्ड लाईसेंस एक्ट 1882 के अन्तर्गत लाईसेंस दर पर आवंटित की जा रही है।
2. आवंटित स्टाल/बूथ में लाईसेंसधारी द्वारा लाईसेंस अवधि में निम्न वस्तुओं/पदार्थो का ही व्यवासय किया जावेगा :-

   1.
   2.
   3.
   4
   5
   6
   7
   8

उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ / सामग्री पदार्थ / सामग्री का व्यवसाय नही किया जा सकेगा अन्यथा लाईसेंस निरस्त करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

3. इस दुकान/बूथ/स्टाल/बूथ संचालन की मासिक लाईसेंस फीस .... राशि शब्दों में रूपये .... मात्र होगी।
4. यह लाईसेंस अवधि दिनांक .... दिनांक .... के लिये मान्य होगी।
5. निगम बस स्टैण्डों पर आवंटित दुकान नम्बर /स्टाल संख्या/बूथ संख्या/ खाली स्थान लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिये लाईसेंस फीस पर आवंटित की जाती है। एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर 10 प्रतिशत राशि बढ़ाकर अर्थात पूर्व लाईसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि कर लाईसेंस फीस जमा करते हुये अगले एक वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जावेगा। जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50000/– रूपये से कम है। उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50000/– रूपये अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम पॉच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा। उक्त लाईसेंस अवधि की समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदा दाता को दिशा निर्देशानुसार समय पर स्टाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। उक्तानुसार नवीनीकरण नही कराने पर/अवधि समाप्ति पर पूर्व में किया गया अनुबन्ध/जारी लाईसेंस स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इसके लिये पृथक से नोटिस आदि जारी करने की कोई आवंश्यकता नही होगी तथा लाईसेंसी को दुकान/स्टाल/बूथ/खाली स्थान स्वतः ही खाली करना होगा। इसके लिये वह किसी भी अधिकार क्षेत्र न्यायालय में वाद दायर नही कर सकेगा।
6. लाईसेंसधारी, स्टॉल आवंटन के पश्चात स्वयं के खर्चे पर आवंटित स्थान पर सुव्यस्थित रूप से कियोस्क का निर्माण करेगा। निर्माण पूर्व स्टाल निर्माण के प्रारूप का अनुमोदन करवाना लाईसेन्सधारी के लिए अनिवार्य होगा। यदि स्टाल बनी हुयी है तो उसे व्यवस्थित करेगा, लाईसेन्सधारी का दायित्व होगा कि आवंटित स्टॉल को इस प्रकार से व्यवस्थित कर संचालित करे, जिससे प्लेटफार्म की सुन्दरता बनी रही। इस कार्य हेतु किये गए व्यय का निगम द्वारा किसी भी प्रकार से पुनःभरण नही किया जावेगा। स्टॉल को सुव्यवस्थित करने के पश्चात् ही व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
7. निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वो स्टाल/ केंटिन/बूथ का स्थान निर्धारित प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त समझा जाने पर बदल सकेगा। इस बारे में निगम के द्वारा लिखित में निर्देश दिये जाने के 24 घण्टे के अन्दर–अन्दर लाईसेंस धारक उसके स्वयं के खर्चे पर पुरानी जगह से समस्त सामान उठाकर नई जगह पर ले जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेंस धारक उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उतरदायित्व के लाईसेंस समाप्त कर सकेगा।
8. लाईसेंसधारी स्वंय के खर्चे पर बिजली व पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा तथा उसका भुगतान संबंधित विभाग को करेगा। लाईसेंस धारी निगम की बिजली व पानी का उपयोग नही करेगा। जहां लाईसेंसधारी को बिजली व पानी के लिये निगम की ओर से कनेक्शन पूर्व में दिया हुआ है वहां लाईसेंसधारी बिजली का सब मीटर स्वंय के खर्चे पर लगवायेगा। तथा बिजली व पानी का खर्चा जो कि निगम के द्वारा निर्धारित किया हुआ हो को निगम की देय तारीख से कम से कम दो दिवस पहले निगम में जमा करवायेगा। ऐसा नही किये जाने की सूरत में निगम के द्वारा उसका बिजली व पानी के संबंध विच्छेद कर दिया जावेगा।
9. निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि एक विषय संबंधी लाईसेंस धारी के अलावा उक्त विषय में अतिरिक्त लाईसेंस भी उसी प्लेटफार्म पर अन्य फर्म को यात्रियों की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए जारी कर सकेगा। लाईसेंसधारी को इस बारे में कोई एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।
10. लाईसेंसधारी उक्त स्टाल/केंटीन/बूथ पर कोई विज्ञापन पट्‌ट अथवा कोई विज्ञापन नोटिस नही लगावेगा।

11. लाईसेंसधारी किसी ऐसे व्यक्ति को सेवा में नही रखेगा जो कि फैलने वाली किसी बीमारी से ग्रसित हो, जिसकी साख खराब हो अथवा जो अपराधी प्रवृत्ति का हो। निगम के द्वारा इस बारे में लिया गया निर्णय लाईसेंसधारी को मान्य होगा।
12. लाईसेंसधारी द्वारा अपनी स्टाल/बूथ/दुकान पर रखे जाने वाले नोकर एवं कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम एव पते सहित सूची मुख्य प्रबन्धक को देनी होगी तथा सूची में अंकित व्यक्ति ही उक्त स्थान पर कार्य करने के लिए अधिकृत होगें। सूची में नाम नही होने पर कार्य करने वाला अतिक्रमि होगा एवं सूची में नाम अंकित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त स्थान पर एक सप्ताह की अवधि तक अतिक्रमण करने पर लाईसेंस समाप्त समझा जावेगा तथा धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी। नोकर अथवा कार्य करने वाले कर्ता के बदलने पर उसकी सूचना संबंधित मुख्य प्रबन्धक को देनी होगी।
13. निगम अथवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्ति को स्टाल/कैंटीन पर उपयोग में लाये जाने वाले/बेचे जाने वाले खाने के पदार्थो की स्वच्छता की जांच कर सकेगा ऐसे पदार्थ अस्वच्छ होने पर उनके बेचे जाने पर रोक लगाये जाने का अधिकार होगा।
14. लाईसेंसधारी अथवा उसके द्वारा कार्यरत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगें कि वे साफ सुथरे रहे तथा अन्य यात्रियों की शालीनतापूर्वक सेवा करने को तत्पर रहें।
15. लाईसेंसधारी अथवा उनके द्वारा कार्यरत कोई भी कर्मचारी नशे की हालत में निगम के परिसर में नही आवेगा।
16. लाईसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि वो केंटीन/स्टाल/बूथ का उपयोग केवल निर्धारित कार्य के उपयोग में लावेगा। वो ऐसे स्थान को विश्राम स्थल अथवा किसी अन्य अनाधिकृत कार्य के उपयोग में नही लावेगा।
17. लाईसेंसधारी उसके स्टाल पर किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं को जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस आदि न तो रखेगा न ही बेचेगा।
18. लाईसेंसधारी केवल उस कीमत पर अधिकृत वस्तुओं का बेचान करेगा जो कीमत निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई है। निगम के द्वारा निर्धारित दरों की एक सूची स्पष्ट तौर पर स्टाल/बूथ में लगावेगा।
19. लाईसेंसधारी उसके द्वारा देय लाईसेंस फीस के अलावा उन समस्त करों को तथा अन्य फीस को जो किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को, देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा। लाईसेंसधारी पर लागू लाईसेंस अथवा परमिट आदि लेने की आवश्यकता हो तो वह स्वंय ही जिम्मेदारी पर देय फीस भुगतान कर प्राप्त करेगा।
20. लाईसेंसधारी एक सूचना पट्ट अपनी स्टॉल पर लगायेगा जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा कि बूथ द्वारा जो सामान/वस्तुए विक्रय की जा रही है उसकी गुणवत्ता के बारे में या बूथ पर पदस्थापित किसी कर्मचारी के संबंध में कोई शिकायत हो तो शिकायत पुस्तिका में शिकायत अंकित कर सकते है। यह शिकायत पुस्तिका निरीक्षण के दौरान निगम के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। जो कि इस हेतु अधिकृत है।
21. लाईसेंसधारी अनुज्ञापत्र के तहत किये जाने वाले व्यवसाय के लिये आवश्यक फर्नीचर एवं फिक्चर्स, टेबल, कुर्सी, ग्लास, क्रोकरी व स्टोर संबंधी सामग्री स्वंय अपने व्यय से लगवायेगा या रखेगा जो कि उसके व्यवसाय के लिये आवश्यक है।
22. लाईसेंसधारी अपने स्टाल में उपयोग किये जाने वाले बर्तन, फर्नीचर व स्टॉल में उपयोग में लिये जाने वाले समस्त खाद्य व अखाद्यय पदार्थ स्वच्छ तरीके से निगम अधिकारियों के सन्तुष्टी के मुताबिक रखेगा। निगम के अधिकारियों को स्टाल में जाकर इस बारें में मुआयना करने का अधिकार होगा व लाईंसेंसधारी इस बारे में कोई एतराज करने का अधिकार नही रखेगा। निगम के द्वारा निर्देशानुसार अधिकृत अधिकारी द्वारा मुआयना करने पर पायी गई त्रुटियों को लाईसेंसधारी स्वंय के खर्चे पर निगम के आदेशानुसार दूर करेगा जो कि निगम या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के सन्तुष्टी के मुताबिक होगा।
23. लाईसेंसधारी स्टाल के आसपास की जगह को साथ सुथरे व स्वच्छ तरीके से रखेगा। बर्तन आदि धोने के पानी को स्टाल के बाहर नही फैलायेगा व ना ही बर्तनों को स्टाल के बाहर लाकर धोयेगा तथा बाहर कचरा पात्र रखेगा।

24. निगम द्वारा लाईसेंसी को पन्द्रह दिवस का लिखित नोटिस देकर लाईसेंस निरस्त करने का अधिकार होगा। निगम के लिये यह आवश्यक नही होगा कि इसके संबंध में कोई कारण का उल्लेख नोटिस में करें।

निम्नलिखित परिस्थितियों में लाईसेंस को केवल मात्र 48 घंटो का लिखित नोटिस दिया जाकर निगम के द्वारा निरस्त किया जा सकता है :–

(क) यदि लाईसेंसधारी को दिवालिया घोषित कर दिया गया है।

(ख) यदि लाईसेंसधारी एक माह की अवधि की लाईसेंस फीस जमा कराने में असफल रहा हो।

(ग) यदि लाईसेंसधारी लाईसेंस की किसी शर्त की पालना करने में असमर्थ रहता है।

(घ) यदि लाईसेंसधारी ने लाईसेंस प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत निविदा में कोई अधूरी, गलत या भ्रमित जानकारी अंकित की हो। लाईसेंस के निरस्त किये जाने की स्थिति में लाईसेंसधारी परिसर को तुरन्त खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। लाईसेंसधारी परिसर में 24 घण्टे के अन्दर समस्त सामान स्टाल से हटा लेगा। ऐसा नही किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी परिसर में प्रवेश कर स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा देगा। लाईसेंसधारी का फर्नीचर व अन्य समस्त सामान अधिकारी स्टाल से हटाकर अपने कब्जे में लेगा उसको बिक्री या अन्य प्रकार से डिस्पोज कर हटाने का अधिकार होगा और निगम ऐसी सूरत में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा। निगम द्वारा इस संबंध में किया गया समस्त खर्चा सामान कि बिक्री मूल्य या अमानत राशि में से वसूली का अधिकारी होगा।

25. लाईसेंसी के विरूद्ध मासिक लाईसेंस फीस व अन्य देय राशि बकाया रहने पर उसका लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किया जावेगा तथा बकाया राशि वसूली हेतु जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त करने के विरूद्ध लाईसेंसी न्यायालय में कोई विवाद नही ले जा सकेगा।

26. यदि स्टालधारी स्वंय अपना लाईसेंस चालू नही रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व इसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

27. लाईंसेसधारी की लाईसेंस अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति लाईसेंसधारी आश्रित उसकी पत्नी एवं आश्रित बच्चे के नाम पर लाईसेंस की शेष अवधि के लिए लाईसेंस हस्तान्तरण किया जा सकेगा। पत्नी के स्वंय स्टॉल संचालित करने में सक्षम नही होने अथवा आश्रित बच्चों के नाबालिंग होने की दशा में पत्नी के शपथ–पत्र पर पत्नी के माता–पिता, भाई बहन या नाबालिंग संतानों के विधिक संरक्षक के नाम लाईसेंस का हस्तान्तरण लाईसेंस की शेष अवधि के लिए किया जा सकेगा। उपरोक्तानुसार संबंधित आगार स्तरीय समिति का अनुमोदन उस जोन के महाप्रबन्धक (संचालन) से कराने के पश्चात् ही मृतक लाईसेंसधारी के लाईसेंस का हस्तान्तरण लागू किया जा सकेगा।

28. लाईसेंसधारी पर नोटिस की तामिल पूर्ण समझी जावेगी। यदि कोई नोटिस उसके द्वारा दिये गये पते पर प्रेषित कर दिया जाता है अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दिया जाता है। यदि लाईसेंसधारी द्वारा निविदा में दिये गये पते में कोई परिवर्तन होता है तो लाईसेंसधारी संबंधित आगार के मुख्य प्रबन्धक को लिखित/रजिस्टर्ड डाक द्वारा परिवर्तित पते से सूचित करना होगा।

29. लाईसेंस की अवधि समाप्त होने अथवा निगम द्वारा उपरोक्त वर्णित आधारों पर लाईसेंस निरस्त किये जाने कि स्थिति में लाईसेंसधारी को निगम के परिसर में प्रवेंश करने और किसी प्रकार का व्यापार करने को कोई अधिकार नही होगा। यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो बिना अधिकार के अतिक्रमण करने वाला अतिचारी होगा जो कि अपराधिक अतिचार के अपराध से दण्डित किये जाने का उत्तरदायी होगा।

30. लाईसेंस की इन शर्तों से लाईसेंसधारी के पक्ष में इस परिसर के संबंध में कोई किरायेदारी अधिकार प्राप्त नही होगा और लाईसेंस के निरस्त होने पर निगम को स्टाल/केंटीन में प्रवेश करने का व पुनः कब्जा लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

31. लाईसेंस फीस या अन्य राशि जो निगम को नियमानुसार जमा करवाई जावेगी पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वापिस लेने का लाईसेंसधारी को कोई अधिकार नही होगा।

निगम द्वारा स्टाल/केंटीन बंद किये जाने के दौरान व्यतीत अवधि के लिए व्यवसाय बंद होने के आधार पर भी कोई लाईसेंस फीस या अन्य जमा करवाई गई राशि लाईसेंसधारी प्राप्त करने का अधिकारी नही होगा। सड़क यातायात के निलम्बित होने, बसों के आवागमन व रूकने के समय में परिवर्तन होने/बसों के देरी से आने या रवाना के कारण, कर्मचारियों की हड़ताल के कारण, आगार परिसर में किये जाने वाले व्यवसाय में व्यवधान होने पर लाईसेंसधारी को लाईसेंस फीस या अन्य राशि पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निगम से प्राप्त करने का अधिकार नही होगा। लाईसेंसधारी को इन परिस्थितियों में लाईसेंस फीस आदि यथावत तौर पर जमा करवानी होगी।

32. लाईसेंसधारी उसको आवंटित स्टाल/केंटीन पर व्यवसाय स्वंय की जौखिम पर करेगा और निगम का लाईसेंसधारी से किसी यात्री/आम जनता या निगम के कर्मचारी द्वारा लिया गया ऋण एवं अन्य सामान के लिए कोई उत्तदायित्व नही होगा। लाईसेंसधारी अथवा उसके किसी कर्मचारी या एजेन्ट के द्वारा दूषित अथवा प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ या अन्य सामान के बेचने या वितरण के फलस्वरूप किसी यात्री/निगम कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के लिए वह स्वंय उत्तरदायी होगा निगम का इससे कोई संबंध नही होगा।

33. लाईसेंसधारी द्वारा लाईसेंस की शर्तो के अनुरूप असन्तोषजनक या असफल सेवा निगम की सन्तुष्टि के अनुरूप नही होने पर निगम को यह अधिकार होगा कि लाईसेंसधारी के खर्चे व जोखिम पर अन्य इन्तजाम करें एवं ऐसी परिस्थिति पर लाईसेंस फीस और धरोहर राशि को जब्त करें ऐसी सूरत में लाईसेंसधारी को निगम या उसके किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नही होगा।

34. लाईसेंसधारी अथवा उसके किसी कर्मचारी की कोई दुर्घटना अथवा किसी अन्य प्रकार से चोट अथवा मृत्यु होने की सूरत में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के प्रावधानों के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि अदा करने के दायित्व से निगम मुक्त रहेगा। निगम का ऐसी स्थिति में कोई भुगतान करने का दायित्व नहीं होगा। लाईसेंसधारी अथवा उसके किसी कर्मचारी की लापरवाही से की गई आगार परिसर में कोई दुर्घटना होती है और निगम को उसके लिए कोई वर्कमेन कम्पन्सेषन एक्ट कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य किसी कारण से बनती है व भुगतान करना पड़ता है तो ऐसी सूरत में निगम लाईसेंसधारी से भुगतान अथवा खर्च की गई राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

35. लाईसेंसधारी निविदा में दी गई शर्तो एवं सामग्री के अनुरूप ही अपने केंटीन/स्टाल में व्यवसाय करेगा। अन्य किसी और प्रकार का व्यवसाय / कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा। लाईसेंसधारी द्वारा उसे आवंटित परिसर के अलावा निगम की अन्य कोई भूमि/परिसर पर अनाधिकृत रूप से उपयोग या उपभोग नही करेगा। यदि लाईसेंसधारी स्टाल/केंटीन के अलावा अनाधिकृत रूप से अन्य कोई परिसर का उपयोग व उपभोग करता है तो उस अवधि का लाईसेंस फीस के पांच गुणा राशि का भुगतान प्रत्येक माह के अनुसार करने का जिम्मेदार होगा व निगम को स्टाल/केंटिन आदि लाईसेंस को ऐसी सूरत में निरस्त करने का अधिकार होगा। इन परिस्थितियों में लाईसेंसधारी द्वारा निगम को देय राशि अथवा जमा करायी गयी राशि के संबंध में किसी न्यायालय या सक्षम व्यक्ति के समक्ष चुनौती देने का व वास्तविक नुकसान को प्रमाणित करने के लिए बाध्य नही किया जा सकेगा और ना ही उसे किसी प्रकार को कोई अधिकार ही होगा।

36. यदि निगम या उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी की राय के अनुसार उपरोक्त संपत्ति में कोई नुकसान लाईसेंसधारी अथवा उसके ऐजेन्ट या कर्मचारी की असावधानी या लापरवाही से हुआ है तो ऐसी सूरत में लाईसेंसधारी निगम को उस नुकसान का हर्जाना अदा करेगा। ऐसे नुकसान की गणना निगम के मुख्य प्रबन्धक/सहायक अभियन्ता (सिविल) अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी जिसकी गणना के लिए खर्चे की गई राशि की अदायगी का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। उपरोक्त अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट अंतिम होगी तथा लाईसेंसधारी पर बाध्यकारी होगी।

37. लाईसेंसधारी अथवा उसके कर्मचारी द्वारा निगम द्वारा आवंटित परिसर पर किये जाने वाले अस्थायी निर्माण को दिये गये डिजायन के अनुसार ही किया जावेगा। अपनी स्वेच्छा से आवंटित स्टाल/केंटीन पर कोई निमार्ण कार्य नही किया जावेगा। अस्थाई

निर्माण से संबंधित दिये गये डिजायन के अनुसार ही निर्माण किये जाने वाले व्यय को स्वयं लाईसैन्स धारी वहन करगा अस्थाई निर्माण निगम के अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुरूप होगा। लाईसेंस की अवधि समाप्त होने या अन्य किसी कारण निगम के द्वारा अवाप्ति करने की स्थिति में लाईसेंसधारी स्वयं के खर्चे पर समस्त निर्माण हटा लेगा। लाईसेंसधारी किसी भी सूरत में आवंटित स्थान पर स्थाई निर्माण नही करेगा।

38. सुरक्षा राशि या उसका कोई अंश जप्त होने या समायोजित होने या लाईसेंस के प्रावधानों एवं शर्तो के अनुसार निगम द्वारा उपयोग/समायोजित किये जाने की सूरत में लाईसेंसधारी लिखित सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर पुनः सुरक्षा राशी जमा कराने के लिए बाध्यकारी होगा व सुरक्षा राशि की पूर्ति करेगा। ऐसा नही करने पर लाईसेंसधारी का लाईसेंस निरस्त माना जावेगा।

39. लाईसेंस की अवधि समाप्ति पर लाईसेंस निरस्त होने पर निगम की कोई बकाया नही होने की स्थिति में एक माह की भीतर लाईसेंसधारी को उसकी जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि लौटायी जा सकेगी। यदि निगम और अनुज्ञापत्रधारी के मध्य अनुज्ञापत्र या अन्य किसी देय राशि के संबंध के कोई विवाद/बकाया राशि रहने पर निगम को उक्त धरोहर व सुरक्षा राशि या उसका कोई अंश अपने पास रखने का अधिकार होगा, जब तक की विवाद का अंतिम रूप से निर्णय नही हो जावे।

40. अनुबंध के क्रियान्वयन शर्तो एवं अनुबंध के निर्विचन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिये परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे। जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते है कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते है। पंच निर्णयक/न्यायालय का कार्य क्षैत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा।

41. लाईसेंसधारी के द्वारा प्रस्तावित फीस की स्वीकृति निगम के द्वारा किये जाने पर लाईसेंसधारी उसके हक में स्वीकार दर की तीन माह की लाईसेंस फीस के बराबर सुरक्षा की राशि संबंधति मुख्य प्रबन्धक को ड्राफ्ट/पे–आर्डर अथवा
नकद इस बारे में लिखित स्वीकृति प्राप्त होने के दो दिवस के भीतर–भीतर जमा करवायेगा। ऐसा नही किये जाने पर उसके द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी तथा धरोहर व सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। सुरक्षा राशि जमा नही करवाये जाने की सूरत में लाईसेंसधारी को स्टाल/केंटीन चलाने की स्वीकृति नही दी जावेगी। निगम को यह पूर्ण अधिकार होगा कि सुरक्षा राशि में से लाईसेंसधारी की तरफ बकाया इस अनुबंध अथवा अन्य अनुबंध के तहत अथवा अन्य किसी भी राशि का समायोजन इस राशि में से किया जा सकेगा।

42. जिस फर्म के पक्ष में लाईसेंस जारी किया गया है उस फर्म को अपना व्यवसाय लाईसेंस जारी करने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर–भीतर प्रारम्भ करना होगा। यदि लाईसेंसी फर्म ऐसा करने में असफल रहती है तो उसका लाईसेंस निरस्त कर दिया जावेगा व धरोहर राशि निगम जब्त कर लेगा। तदुपरान्त निविदा के आधार पर दूसरी उच्चतम बोली वाली फर्म को लाईसेंस आवंटित कर दिया जावेगा। फर्म जिसके पक्ष में लाईसेंस जारी किया गया है उसका यह दायित्व होगा कि लाईसेंस फीस का भुगतान उस दिनांक से करें जिस दिनांक से उसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया है।

43. फर्म जिसके पक्ष में लाईसेंस जारी किया गया है, को 12 अग्रिम पोस्टेड चैक निगम के कार्यालय में जमा कराने होंगे जो कि प्रत्येक माह की 7 तारीख को देय होगें। हर एक चैक प्रत्येक माह की लाईसेंस फीस के भुगतान के लिए निगम को देय होगा 12 चैक में से कोई भी चैक अनाद्रित/तिरस्कृत हो जाने की दशा में लाईसेंसी को सात दिवस का रजिस्टर्ड नोटिस/अनाद्रित/तिरस्कृत चैक की राशि एवं बैंक द्वारा चार्ज की गई राशि जमा कराने हेतु दिया जावेगा। यदि राशि जमा नही कराई जाती है तो लाईसेंस समाप्त कर दिया जावेगा। इसके साथ ही निगम नियमानुसार संबधित फर्म के विरूद्व कार्यवाही करेगा।

44. लाईसेंसी द्वारा निर्धारित अवधि में लाईसेंस फीस निगम कोष में जमा नही करवाने पर प्रतिदिन 50/– रूपये अथवा चैक राशि का 1 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) की दर से

शास्ती जमा करानी होगी फिर भी लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक अनादरण होने की स्थिति में लाईसेंसधारी के विरूद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही की जावेगी।

45. वित्तमंत्रालय भारत सरकार (राजस्व विभाग) न्यू देहली की अधिसूचना संख्या – 24/2007 सेवा कर द्वारा दिनांक 01.06.2007 से निगम परिसर में आवंटित दूकान, स्टाल, बूथ जो लाईसेंस पद्धति पर आवंटित है, पर देय मासिक लाईसेंस फीस पर जी. एस.टी, कुल 18 प्रतिशत अतिरिक्त लाईसेंसी द्वारा निगम का भुगतान करना होगा। यह दर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना अनुसार रहेगी।
46. लाईसेंसधारी को स्वयं के व्यय पर 2 सी.सी.टी.वी. कैमरे (विथ साउण्ड रिकार्डर) प्रथम कैश काउन्टर व दुसरा बाहर रास्ते की ओर लगा हुआ हो, जिसका बैकअप एक माह तक रक्षित रखना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्ते दोनों पक्षों ने सुन व समझ ली है। इन शर्तो को दोनों पक्ष स्वीकार करते है व आज दिनांक .... को हस्तातरित किया गया ।

हस्ताक्षर लाईसेंसी
मय पूरा नाम

हस्ताक्षर मुख्य प्रबन्धक
मय कार्यालय सील

स्थान
दिनांक

गवाह 1

गवाह 1 हस्ताक्षर मय
पूरा नाम पद मय कार्यालय सील

गवाह 2

गवाह 2 हस्ताक्षर मय
नाम व कार्यालय सील
(नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाया जावे)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,सी.बी.एस आगार,जयपुर।

(यह प्रपत्र अहस्तानतरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया गया जावें, उसी के प्रयोजनार्थ हैं)

केन्द्रीय बस स्टैण्ड जयपुर पर स्टाल आवंटन हेतु
अस्थाई रूप से लाईसेन्सधारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

निविदा–प्रपत्र

निविदा प्रपत्र संख्याः– एफ/मु.प्र./ /20 /
दिनांक :–

निविदा प्रपत्र हेतु राशि जमा रूपयें :– 200 रू./–
अक्षरे :– दौ सौ रूपये मात्र
नकद/रसीद संख्या :–
दिनांक :–

मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार

01	फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता		:–	
02	टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नं.			
		कार्यालय	:–	
		निवास	:–	
03	टेलेक्स/फैक्स नम्बर		:–	
04	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण		:–	
05	धरोहर राशि		:–	
06	धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा रसीद संख्या/ड्राफ्ट/बैकर्स चैक नम्बर		:–	
	दिनांक		:–	
07	देय लाईसेंस शुल्क राशि रूपये			
		राशि प्रतिमाह रूपये	:–	
		शब्दों में	:–	
08	निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्टाल/बूथ का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण।			
09	निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम बैक में खाता नम्बर		:–	
010	निविदादाता की चल व अचल सम्पत्ति का विवरण सत्यापित प्रति सहित		:–	
11	अन्य आवश्यक विवरणः– पहचान पत्र, पेन नम्बर, एवम् एक फोटो खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। इसके बिना फार्म स्वीकर नहीं किया जावेगा।		:–	

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हैसियत/मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर।

निविदा–शर्ते

निविदा शुल्क	:–	**200 सौ रूपए मात्र (दौ सौ रूपए मात्र)**
निविदा दिनांक	:–	....
निविदा प्राप्ति समय	:–	**14.00 बजे।**
निविदा खोलने का समय	:–	**15.00 बजे।**

स्टाल आवंटन/संचालन की निविदा शर्ते निम्न हैः–

29. निगम परिसर में दुकान/स्टाल/बूथ/खाली स्थान अस्थाई लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिये दी जावेगी। एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर लाईसेन्सी के विरूद्ध कोई राशि बकाया नहीं होने/सन्तोषजनक सेवाये रहने पर लाईसेन्स फीस में 10 चक्रवृति दर से वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50,000/– रूपये से कम है, उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों के मासिक लाईसेंस फीस 50,000/– रूपये अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम पॉच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा। उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा निर्देशानुसार समय पर स्टाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञा की अवधि समाप्ति पर लाईसेन्सी द्वारा स्वतः ही बिना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए निगम को दुकान/स्टाल/बूथ खाली कर कब्जा सम्भलाना पड़ेगा। लाईसेन्सी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरूद्ध वाद दायर नही किया जा सकेगा।
30. लाईसेन्स पर दुकान/स्टाल/बूथ/खाली स्थान लेने हेतु लाईसेन्सी को एक सौ रूपए के भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तो के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा।
31. लाईसेन्स पर दी गई दुकान/स्टाल/बूथ पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गई सामग्री का ही बेचान किया जा सकेगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान का बेचान नही किया जायेगा :–

नोटः– जिस स्टॉल हेतु आवेदन किया जा रहा है उसके अनुरूप स्वीकृत साम्रगी का ही इन्द्राज करे।

1. ....
2. ....
3. ....

4. निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि ..../– रूपये (अक्षरे .... रूपये मात्र) का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/नकद जमाओं की रसीद संलग्न करनी होगी। लाईसेन्स आवंटित होने पर लाईसेन्सी को दस दिवस में तीन माह की लाईसेन्स फीस के बराबर सुरक्षा राशि की डी.डी/बैंकस चैक/नगद निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवम् सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लाईसेन्स अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाईसेन्सी द्वारा लाईसेन्स जारी होने के तीस दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नहीं करने पर धरोहर राशि एवम् सुरक्षा राशि जब्त कर लाईसेन्स रद्द कर दिया जावेगा व द्वितीय उच्चतम निविदादाता को अथवा पुनः निविदा कर लाईसेन्स आवंटन किया जा सकेगा।
5. लाईसेंसधारी, स्टॉल आवंटन के पश्चात स्वयं के खर्चे पर आवंटित स्थान पर सुव्यस्थित रूप से कियोस्क का निर्माण करेगा। निर्माण पूर्व स्टाल निर्माण के प्रारूप का अनुमोदन करवाना लाईसेन्सधारी के लिए अनिवार्य होगा। यदि स्टाल बनी हुयी है तो उसे व्यवस्थित करेगा, लाईसेन्सधारी का दायित्व होगा कि आवंटित स्टॉल को इस प्रकार से व्यवस्थित कर संचालित करे, जिससे प्लेटफार्म की सुन्दरता बनी रही। इस कार्य हेतु किये गए व्यय का निगम द्वारा किसी भी प्रकार से पुनःभरण नही किया जावेगा। स्टॉल को सुव्यवस्थित करने के पश्चात् ही व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
6. निगम को अनुबन्ध समाप्ति दिनांक से पूर्व आवंटित दुकान/स्टाल/खाली स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घन्टे के भीतर स्वयं के खर्चे पर पुरानी जगह से सामान उठाकर वैकल्पिक अन्य नये स्थान पर ले जावेगा। वैकल्पिक अन्य स्थान की उपलब्धता एवम् उसकी व्यवसायिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी नवीन लाईसेन्स दरों के प्रस्ताव आगार स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा तथा नये स्थान पर आवंटन के लिए पूर्व ऐसे लाईसेन्सी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि नवीन लाईसेन्सी शुल्क/दरों के लिए पूर्व लाईसेन्सी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिवर्तन के आधार पर प्राथमिकता समाप्त कर दी जावेगी एवम् नये स्थान का लाईसेन्स भी निर्धारित प्रक्रिया से निविदायें आमन्त्रित कर आवंटन किया जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेन्सी उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तरदायित्व के लाईसेन्स समाप्त करा सकेगा।
7. लाईसेन्सी मासिक लाईसेन्स फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा)12 अग्रिम पोस्ट डेटेड़ चैक जो प्रत्येक माह की 07 तारीख को देय होगे,देगा। माह की 07 तारीख तक लाईसेन्स फीस जमा नहीं कराने पर अथवा लाईसेन्स की किसी शर्ते का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारीय समिति 48 घन्टे का नोटिस जारी कर लाईसेन्स निरस्त कर सकेगी। लाईसेन्स निरस्त करने/वापिस किये जाने पर लाईसेन्सी निगम परिसर को 24 घन्टे में खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। ऐसा नहीं किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी दुकान में प्रवेश कर दुकान/स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा दिया जावेगा।

8. लाईसेंसी स्वंय के खर्चे पर सम्बन्धित विभाग के बिजली व पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा तथा उसका स्वयं भुगतान वहन करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर आगारीय समिति सम्बन्धित विभाग को कनेक्शन बन्द करने के लिए सूचित करेगा।
9. आवंटित दुकान/खाली स्थान पर लाईसेन्सी मादक पदार्थ जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस व सरकार द्वारा प्रतिबन्धित पदार्थ न तो रखेगा न ही बेचेगा।
10. लाईसेन्सी अपना व्यवसाय आवंटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।
11. लाईसेन्सी विक्रय किये जाने वाले पदार्थों की मूल्य सूची आगारीय समिति से अनुमोदन कराकर दुकानदार/स्टाल पर लगायेगा, जिसे यात्री सुगमता से पढ़ सके। लाईसेन्सी आवंटित दुकान/स्टाल में किसी तरह का परिर्वतन/मरम्मत नहीं करा सकेगा।
12. निगम द्वारा लाईसेन्सी को 24 घन्टे का लिखित नोटिस देकर लाईसेन्स को निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
13. यदि लाईसेन्सी स्वयं अपना लाईसेन्स चालू नही रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बन्द करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा एवम् धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
14. दुकान/स्टाल/बूथ का लिया गया लाईसेन्स अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
15. अनुबंध के क्रियान्वयन शर्तो एवं अनुबंध के निर्विचन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिये परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे। जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते है कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते है। पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षैत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा।
16. लाईसेन्सी के विरूद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर ली जावेगी, जो लाईसेन्सी द्वारा दो दिवस में बैक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष में जमा करानी होगी। ऐसे नहीं करने पर आगारीय समिति लाईसेन्स निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाईसेन्स दे दिया जावेगा।
17. लाईसेन्सी द्वारा निगम से समय-समय पर जारी आदेश/शर्तों का पालन किया जावेगा अन्यथ आगारीय कमेटी को लाईसेन्स निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेन्सी स्वय जिम्मेदार होगा।
18. दुकान/स्टाल/बूथ पर पूर्ण गुणवत्ता पदार्थों का ही विक्रय किया जायेगा।
19. लाईसेन्सी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाईसेन्सी द्वारा सीधे सम्बन्धित विभाग में जमा कराया जावेगा।
20. यात्रियों की सुविधा के मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेन्सधारी के अलावा उसी आईटम का लाईसेन्स उसी प्लेटफार्म पर अन्य फर्म को जारी कर सकेगा। लाईसेन्सधारी को इस बारे में किसी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।
21. यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाते है तो निविदादाता को लाईसेन्स प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
    1. निविदादाता के नाम पर जो भी चल एवम् अचल सम्पत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया-प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है तो उसके गारन्टर की आय एवम् अचल सम्पत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति।
    2. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र/वर्तमान ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति,पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिर्टन की प्रमाणित छायाप्रति)
    3. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारन्टर को 100/- रूपए के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा की जब तक वह निगम का लाईसेन्सी रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति के वह अपनी चल अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं करेगा।
    यह शपथ पत्र नोटरी पब्लिक ओथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा।
22. निविदा-प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगें।
23. निविदा प्रस्ताव सरल एवम् शुद्ध भाषा में होंगें तथा किसी प्रकार की काट-छांट ना हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें।
24. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
25. यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति फर्म के विरूद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
26. संलग्न धोषणा-पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
27. केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र एवम् राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों एवम् राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी एवम् उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को स्टैण्ड पर स्टाल का आवंटन नहीं किया जा सकेगा।

28. लाईसेन्सधारी उसके द्वारा देय लाईसेन्स फीस के अलावा जी.एस.टी. एवम् उन समस्त करों को तथा अन्य फीस को जो भी किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा।
29. फर्म जिसके पक्ष में लाईसेन्स जारी किया गया है उसका यह दायित्व होगा कि लाईसेन्स फीस का भुगतान उस दिनांक से करें जिस दिनांक को उसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया है तथा लाईसेन्स फीस जमा नहीं करवाने पर प्रतिदिन 50/–रूपए अथवा चैक राशि का 1 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से शास्ति राशि जमा करवानी होगी।
30. सिन्धी कैम्प परिसर में नव निर्माण कार्य के कारण निगम प्रशासन को स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घंटे का लिखित नोटिस देकर स्थान खाली करवाते हुए लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है एवम् इसके लिए लाईसेन्सी को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।
31. लाईसेंसधारी को स्वयं के व्यय पर 2 सी.सी.टी.वी. कैमरे (विथ साउण्ड रिकार्डर) प्रथम कैश काउन्टर व दुसरा बाहर रास्ते की ओर लगा हुआ हो, जिसका बैकअप एक माह तक रक्षित रखना अनिवार्य होगा।

मैने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर,सुनकर मैने हस्ताक्षर किये है। उक्त शर्ते मुझे मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

घोषणा–पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

1. मैं/हम निगम कोष में जमा रसीद संख्या/डी.डी.संख्या/ बैकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... राशि .... रूपये .... जो कि <u>CM CBS JAIPUR</u> के नाम देय है, संलग्न कर रहे है/कर दिया है।
2. मै/हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाईसेन्सी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देगें।
3. मैं/हम घोषणा करता/करते है कि मैने/हमने जो प्रस्ताव किये है उसमें किसी अन्य संस्थान का कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नही दिये गये है।

दिनांक :–

(हस्ताक्षर निविदा दाता)
मय पद/हैसियत व मोहर सहित।